प्रवासियों तथा स्वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत एवं पुनर्वास की परियोजना को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने प्रवासियों तथा स्वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत व पुनर्वास की व्यापक योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय की मौजूदा आठ योजनाओं को वर्ष 2020 तक ज़ारी रखने की मंज़ूरी दे दी है।

परियोजना का उद्देश्य

- इन योजनाओं के माध्यम से शरणार्थियों, विस्थापितों, आतंक व जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों, सीमापार से होने वाली गोलीबारी से पीड़ित तथा खान/IED (Improvised Explosive Device) विस्फोट से प्रभावित लोगों को राहत व् पुनर्वास प्रदान किया जाएगा।

परियोजना के लिये निर्धारित वित्तीय अनुदान

- 2017-18 से 2019-20 के दौरान इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वित्तीय अनुदान 3,183 करोड़ रुपए होगा।
- वर्षवार वित्तीय अनुदान 2017-18 के लिये 911 करोड़ रुपए, 2018-19 के लिये 1372 करोड़ रुपए और 2019-20 के लिये 900 करोड़ रुपए है।

योजनाएँ

- 1984 के सिक्ख विरोधी दंगों के मृतक आश्रितों के लिये राहत राशि को बढ़ा कर पाँच लाख रुपए किया गया।
- तमिलनाडु और ओडिशा के कैंपों में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता।
- पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) से विस्थापित परिवारों तथा जम्मू-कश्मीर के छाम्ब से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिये एकमुश्त केंद्रीय सहायता।
- तिब्बती शरणस्थलों में प्रशासनिक और सामाजिक कल्याण के परिव्यय के लिये पाँच वर्षों तक केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (CTRC) को वित्तीय सहायता।
- त्रिपुरा के राहत कैंपों में रह रहे ब्रू समुदाय के लिये त्रिपुरा सरकार को वित्तीय सहायता।
- त्रिपुरा के ब्रू/रियांग समुदायों का मिज़ोरम में पुनर्वास।
- आतंक/जातीय हिंसा तथा सीमा पार से होने वाली फायरिंग से पीड़ित लोगों और खान/IED विस्फोटों के पीड़ितों की सहायता के लिये केंद्रीय योजना।
- सीमा भूमि समझौते के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच रिहायशी इलाकों के हस्तांतरण के पश्चात बांग्लादेश व कूच बिहार ज़िले के रिहायशी इलाकों में पुनर्वास पैकेज तथा अवसंरचना का उन्नयन।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/eight-schemes-for-migrants-to-continue-until-2020